संचिका सं0–7/सदर एवं अनु0अस्प0–23–01/2025–26.....107.....(7B)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से.,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक– 24/02/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न सदर/ जिला अस्पतालों में संचालित डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृति/ वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 6,38,000/– (रूपये छः लाख अड़तीस हजार) मात्र व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–10(1) दिनांक–08.01.2021, संकल्प संख्या–776(1) दिनांक–29.11.2023, संकल्प संख्या–472(1) दिनांक–05.07.2023 एवं विभागीय पत्रांक–03(1) दिनांक–03.01.2022 के आलोक में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभिन्न सदर/ जिला अस्पतालों में संचालित डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 6,38,000/– (रूपये छः लाख अड़तीस हजार) मात्र व्यय निमित आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी, लघु शीर्ष–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ –0005– अन्यान्य औषधालय स्थानीय औषधालय, विपत्र कोड–20-2210-01-200-0005 अंतर्गत छात्रवृति/ वजीफा (34–01) मद में में उपबंधित/प्रथम अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक–सह – मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय अपर निदेशक, बिहार होंगे।

(4) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक में राशि की निकासी सुसंगत प्रपत्रों के माध्यम से करते हुए संबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेगे ।

(5) राशि की निकासी सबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561/वि0 (2) दिनांक–17.4.1998 एवं संकल्प सं0–12888/वि0 दिनांक–03.12.2024 के प्रावधानों के अधीन निर्गत किया जा रहा है ।

(7) वित्त विभाग द्वारा किये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र **BTC Form 42A** पर तैयार करते हुए नियमानुसार व ससमय महालेखाकार के कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संख्या–7/सदर एवं अनु0 अस्प0–23–01/2025–26 के पृ0-43/टि0 पर प्राप्त है ।

(9) इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से उपलब्ध कराया जायेगा ।

(11) संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है ।

विश्वासभाजन,

(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:– 7/सदर एवं अनु0अस्प0–23–01/2025–26-107(18)/स्वा0, पटना, दिनांक:–24/02/2026

प्रतिलिपि–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी, / संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ /असैनिक शल्य चिकित्सक–सह – मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, बेगुसराय एवं सीतामढ़ी / कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07 एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

विभिन्न सदर/ जिला अस्पतालों में संचालित डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम मे अध्ययनरत छात्रों तथा इंटर्नशीप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातको को छात्रवृति/ वजीफा के भुगतान हेतु निम्न जिला को आवंटित की जाने वाली राशि–

क्रमाक	संस्थान का नाम	छात्रवृति/ वजीफा (34–01) मद में आवंटित राशि (रूपये में)
1	समस्तीपुर	2,00,000/–
2	मुजफ्फरपुर	3,30,000/–
3	भोजपुर	82,000/–
4	बेगुसराय	10,000/–
5	सीतामढ़ी	16,000/–
		6,38,000/–

(रूपये छः लाख अड़तीस हजार) मात्र

सरकार के अपर सचिव